297

संख्या– 902 /XXVVIII-4-2016-91/2013T.C,

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषय– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र के संचालनार्थ राज्य आकस्मिकता निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/8/3/2016–17/21725, दिनांक 05.10.2016 एवं पत्र संख्या–5प/1/25/2016–17/22412, दिनांक 17.10.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रश्नगत मद में बजट उपलब्ध न होने के कारण ₹ 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित करने एवं व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में करा दी जायेगी।

3. उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाए।

4. अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जाय, उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में निहित प्रावधानों/दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **प्रथमतः** लेखाशीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन के अन्तर्गत तथा तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान

संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत–01 –शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–110–अस्पताल तथा औषधालय –23–गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत निम्न मानक मदों के नामे डाला जायेगा:–

(रूपया हजार में)

क्र0सं0	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	08–कार्यालय व्यय	1000
2	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4000
3	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3000
4	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	6000
5	31–सामग्री और सम्पूर्ति	1000
6	39–औषधि तथा रसायन	2500
6	42–अन्य व्यय	2500
	योग –	20000

संलग्नक : अलॉटमेंट आई–डी।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

रा0आ0निधि संख्या–156/XXVII(1)/2015-16, दिनांक 04.11.2016

प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, (लेखा एवं हकदारी), ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून को 01 अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव

संख्या–162 (1)/XXVVIII-4-2016-91/2013T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा–स्वास्थ्य मंत्री को मा0 मंत्री जी संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 एवं 3/नियोजन विभाग/प्रन0आई0सी0/चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव